अनुदान संख्या 69 - खान मंत्रालय
GRANT No. 69 - MINISTRY OF MINES

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	1546,79,00		1698,74,00	1686,87,46	-11,86,54
पूरक	Supplementary	151,95,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					11,66,10
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-			61,21,00	58,22,04	-2,98,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					2,98,95

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व खंड में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बचत/अधिक व्यय हुई/हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ	Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	4364.00	3532.77	3532.46	-0.31
पु.	R.	-831.23			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	6533.00	..	..	..
पु.	R.	-6533.00			
मुख्य शीर्ष "2853"	Major Head "2853"				
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries				
मू.	O.	143782.00	165175.13	165155.00	-20.13
पू.	S.	15195.00			
पु.	R.	6198.13			

(I) ग्यारह शीर्षों के तहत ₹7738.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹7042.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों से संबंधित हैं :–

(I) Provision of ₹7738.00 lakhs remained wholly unutilised under eleven heads; of these ₹7042.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(क) मुख्य शीर्ष "2853" – "खानों का विनियमन और विकास – खनिज अन्वेषण – खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड को अनुदान" – ₹1000.00 लाख – लिथियम के अन्वेषण को मूर्त रुप नहीं दिए जाने के कारण।

(A) Major Head "2853" - "Regulation and Development of Mines- Mineral Exploration- Grants to Mineral Exploration Corporation Ltd." - ₹1000.00 lakhs - due to non-materialisation of exploration of Lithium.

(ख) मुख्य शीर्ष "2552" – "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण – निदेशन और प्रशासन – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण गतिविधियां" – ₹6042.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों के लिए धन के पुनर्विनियोजन के कारण।

(B) Major Head "2552" - "Geological Survey of India - Direction and Administration - Geological Survey of India Activities" - ₹6042.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "2853" के तहत – "खानों का विनियमन और विकास – खनिज अन्वेषण अन्य कार्यक्रम/निकाएं" – मार्च, 2023 में ₹298.00 लाख के पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹2914.00 लाख का मूल प्रावधान को

(II) Under Major Head "2853" - "Regulation and Development of Mines - Mineral Exploration - Other Programme / Bodies" - the original provision of ₹2914.00 lakhs was augmented to ₹3212.00 lakhs by

₹3212.00 लाख तक बढ़ाया गया था, जो हालांकि, संगठन को आत्मनिर्भर बनाने और कम भर्तियों के लिए प्रशासनिक प्रभाग द्वारा अनुदान में कमी के कारण ₹170.80 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष "3451" के अंतर्गत – "सचिवालय – खान मंत्रालय" – ₹831.54 लाख की बचत (₹4364.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिकारियों के इस्तीफे/गैर–भर्ती, छुट्टी यात्रा रियायत के लिए कम दावों की प्राप्ति, कम प्रशिक्षण के संचालन और 'राकिया' अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता, जिला खनिज फाउंडेशन, परियोजना प्रबंधन इकाई और राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान के कम बिलों की प्राप्ति के कारण हुई थी।

(IV) मुख्य शीर्ष "2853" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई :–

(का) "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण – अन्य व्यय – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण" – ₹2330.78 लाख की बचत (₹8273.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ऑनलाइन जर्नल के लिए विक्रेता द्वारा खरीद आदेश के नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् द्वारा ग्वालियर भूविज्ञान संग्रहालय का काम पूरा न करने और सॉफ्टवेयर की खरीद को मूर्त रूप न देने के कारण हुई।

(खा) "खानों का विनियमन और विकास – खान ब्यूरो – भारतीय खान ब्यूरो" – ₹1006.84 लाख की बचत (₹9677.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) यूपीएससी/एसएससी में भर्तियों और प्रतिनियुक्ति मांग को पूरा न करने और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य को पूरा न करने के कारण हुई।

2.(I) उपरोक्त बचत का आंशिक रूप से (₹8269.15 लाख) उपयोग पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए किया गया था, जिसकी सूचना संसद को, निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत, मुख्य शीर्ष "2853" के तहत ₹15195.00 लाख का

obtaining supplementary grant of ₹298.00 lakhs in March, 2023 which, however, remained unutilized to the extent of ₹170.80 lakhs - due to reduction of the grant by Administrative Division to make the organization self sustainable and less recruitments.

(III) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Mines" - saving of ₹831.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4364.00 lakhs) was due to resignation/non-recruitment of officials, receipt of less claims towards leave travel concession, conduction of less trainings and receipt of less bills of 'RAKIA' International Arbitration, District Mineral Foundations, Project Management Unit and National Institute for Smart Government.

(IV) Under Major Head "2853" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Geological Survey of India-Other Expenditure-Geological Survey of India" - saving of ₹2330.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8273.00 lakhs) was due to non-compliance of the terms and conditions of purchase order by the vendor for online journal, non-completion of work of Gwalior Geoscience Museum by National Council of Science Museums and non-materialisation of procurement of software.

(B) "Regulation and Development of Mines - Bureau of Mines - Indian Bureau of Mines" - saving of ₹1006.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9677.00 lakhs) was due to non-materialisation of recruitments and deputation requisition at UPSC/SSC and non-execution of work by Central Public Works Department.

2.(I) The above savings were partly (₹8269.15 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹15195.00

पूरक अनुदान प्राप्त करते समय पहले ही दे दी गई थी :–

(का) "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण – निदेशन एवं प्रशासन – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण" – ₹6982.34 लाख। हालाँकि, वास्तविक अधिक व्यय ₹6981.26 लाख हुआ था।

(खा) "खानों का विनियमन एवं विकास" –

(क) "खनिज अन्वेषण – राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट फंड गतिविधियां" – ₹986.81 लाख, हालांकि, वास्तविक अधिक व्यय ₹986.78 लाख हुआ था।

(ख) "अन्य व्यय – भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड को अनुदान" – ₹300.00 लाख।

(II) मुख्य शीर्ष "2853" – "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण" के तहत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचत की भरपाई भी अधिक व्यय से की गई :–

(का) "निदेशन और प्रशासन – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण गतिविधियाँ" – ₹660.90 लाख का अधिक व्यय (₹5758.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किराए के भवनों के किराए, सांविधिक शुल्क के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता और उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्ष में धन के पुनर्विनियोजन के कारण हुआ था।

(खा) "सर्वेक्षण और मानचित्रण – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण गतिविधियां" – ₹721.45 लाख का अधिक व्यय (₹10832.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सर्वेक्षण और मानचित्रण गतिविधियों में लगे सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रीकेंटस की खरीद के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा तीन जीएसआई जहाजों के संचालन और रखरखाव के कारण हुआ था।

lakhs under Major Head "2853" under the following heads:-

(A) "Geological Survey of India - Direction and Administration - Geological Survey of India" - ₹6982.34 lakhs. Actual excess, however, was ₹6981.26 lakhs.

(B) "Regulation and Development of Mines" -

(a) "Mineral Exploration - National Mineral Exploration Trust Fund Activities" - ₹986.81 lakhs. Actual excess, however, was ₹986.78 lakhs.

(b) "Other Expenditure - Grants to Bharat Gold Mines Ltd." - ₹300.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2853" - "Geological Survey of India" under the following heads:-

(A) "Direction and Administration - Geological Survey of India Activities" - excess of ₹660.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5758.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards rent of hired buildings, statutory charges and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) "Survey and Mapping - Geological Survey of India Activities" - excess of ₹721.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10832.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards procurement of Petroleum, Oil and Lubricants for Government vehicles engaged in survey and mapping activities and operation and maintenance of three GSI vessels by Shipping Corporation of India.

(गा) “खनिज अन्वेषण – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण गतिविधियां” – ₹1155.88 लाख का अधिशेष (₹5135.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) घरेलू ड्रिलिंग कार्यों में लंबी अवधि तक नए हाइड्रोस्टैटिक रिंग के संचालन के लिए अत्यधिक कुशल जनशक्ति की नियुक्ति के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता और आउटसोर्स ड्रिलिंग कार्यों के लंबित बिलों का निपटान करने के कारण हुआ था।

(C) “Mineral Exploration - Geological Survey of India Activities” - excess of ₹1155.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5135.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards engagement of highly skilled manpower for operating new hydrostatic rigs for longer duration in in-house drilling works and clearance of pending bills of outsourced drilling works.

3. अनुदान के पूंजीगत खंड में, दो शीर्षों के तहत ₹79.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह अप्रयुक्त रहा।

3. In the capital section of the grant, provision of ₹79.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads.